

Before The National Green Tribunal.  
Principal Bench, New Delhi

Annexure

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit dt-27-4-2024	1
2.	Application dt 27-4-2024	
3.	e. M. Application 9-12-2020 C.C. To D.M. Meerut	
4.	D.M. Application 24-12-2020	
5.	Surendra Singh- 20-3-2021 Commissioner, MEERUT	
6.	R.T.I - D.M office 4-1-2021	
7.	Letter - D.M. Office 25-1-2021	
8.	Office of the C.O. 23-2-2021 Brahampuri. Letter	
9.	Letter of Inspector 28-2-2021 Thana - Brahampuri	
10.	दैनिक जागरण अखबार में छपी खबर - दस्तनीकरण के आदेश एवम्	25-3-2022

दिनांक - 27-4-2024.

C.S.  
Gupta

Applicant

Chandra Shekhar Gupta  
103, Gali No. 3  
Sai Purnam, Delhi Road  
MEERUT - U.P. - 250003  
M. No - 8630828853  
Mail ID - gupta9566@gmail.com

Before The National Green Tribunal  
(U/s 26 of the National Green Tribunal Act 2010)

M.A. No. Of 2023

In

M.A. No. Of 26/2023

In

E.A. No. Of 14/2019

In

O.A. No of 736/2018

In The matter of:-

Chandra Shekhar Gupta

Applicant

Versus

State of Utter Pradesh

Respondent

Affidavit

I Chander Shekhar Gupta S/o Sh. Krishna Gupta R/o 103, Gali No – 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut (UP) do hereby solemnly verify and declare as under :-

That the content of the accompanying application are true and to the best of my knowledge and belief.

That the annexure are true copy of its original.


Deponent

Verification :

Verified at Meerut on 27/08/2023 that the affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed there from nor any part of it is false.

Dated - 27 12 - 2024

Deponent



ATTESTED 27-12-2024  
AKHILESH KUMAR  
NOTARY MEERUT

**Before The National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi**

**Chandra Shekhar Gupta**

**Applicant**

**State of Uttar Pradesh**

**V/s**

**Respondent**

**MA No. in 61/2023**

**In**

**E.A. NO. in 14/2019**

**In**

**O.A NO. 736/2018**

**Subject: - In connection with the illegal occupation of Public plot (about 12000 square yards of land) along with the public park of Mangat puram Colony, Delhi Road, behind Gopal Gau Shala, Meerut by the most wanted criminal and criminal Badan Singh Baddo, carrying a reward of Rs 5 lakh. This colony is approved by M.D.A.**

Sir,

By land mafia Charanjeet Singh Bhatia, Rakesh Makkad, Ajay Sehgal alias Sonu Sehgal, Navneet Sehgal alias Raju, Vijendra alias Pappu, Bobi (M/s Vabulal Dayanand Prakash, Timbar Merchant, Kabari Bazaar Meerut City) on Public plot along with public park of Mangat puram Colony. Is occupied. The applicant had complained about this to Yogi Adityanath, District Magistrate, Meerut on 9-12-2020. Notorious Badan Singh Baddo and his henchmen had threatened and chased away the owners of public parks and plots by firing bullets with threatening weapons.

No action was taken by the District Magistrate, Meerut. Secondly, the applicant gave the application to District Magistrate Meerut on 24-12-2020.

The District Magistrate did not get the encroachment removed from the public plot of Public Park in Mangat puram Colony. District Magistrate, Meerut was requested to go to the office and take action.

Then the applicant sought information through Right to Information on 4-1-2021 from the office of District Magistrate, Meerut about the action taken against illegal encroachment. On date-25-1-2021, a letter came from the District Magistrate, Meerut that the Right to Information is being transferred under Act- 6 (3). This letter was sent to the Senior Superintendent of Police, Meerut. A copy of the letter was given to the applicant. Found on 28 February 2021, from the Circle Officer, Brahampuri. Attached to the letter was a letter from Inspector-in-charge, Bhramपुरi police station. Inspector in-charge, Brahampuri police station wrote in the letter that it is my duty to remove the encroachment from the public plot including the public works of Mangat puram Colony, Gopal Gau shala, Delhi Road, Meerut.

Not in scope. On date - 20-3-2021, a detailed written communication was given to Surendra Singh, Commissioner, Meerut Division, but still the encroachment was not removed from the public plot including the public park of Mangat puram Colony.

### Conclusion

'Sai Puram Public Park', Jagannathpuri Public Park' and 'Magant puram Colony Public Park including Public Plot' have been encroached upon by the henchmen of the same gang of Badan Singh Baddo.

Deepak Meena, District Magistrate and Abhishek Pandey - Vice President-Meerut Development Authority have information about the problems in all three parks. Despite having all this information, District Magistrate, Meerut and Vice Chairman- Meerut Development Authority have not removed the encroachment from the parks.

On 25-3-2022, news was published in Dainik Jagran newspaper that illegal buildings constructed on the land of public park of Jagannathpuri Colony could not be demolished even after the order for demolition. This illegal construction belongs to Rahul Chawara Sheetal Dhabe Wale.


### Prayer

1. Please pass an order to immediately remove the encroachments from the public parking lots of 'Saipuram Public Park' and Jagannathpuri Public Park and Magantpuram Colony Public Park and Public Plots.
2. Take legal action by imposing Gangster Act against the land mafias who have occupied the three parks.
3. Make arrangements for the safety of life and property of the applicant and his family. Because the police administration has completely captured the parks. Has met with criminals.
4. Hindi and English Spelling Mistake for excuse.

Copy of letter number sent for information and necessary action. ,

1. Deepak Meena - District Magistrate, Meerut
2. Abhishek Pandey - Vice President - Meerut Development Authority

Date-27-4-2024,



Chandra Shekhar Gupta  
103 street no.3  
Sai Puram, Delhi Road, Meerut  
M.NO-8630828853  
MailId-gupta 9566@g.mal.com

Before The National Green Tribunal.  
Principal Bench, New Delhi

Chandra Shekhar Gupta  
v/s

Applicant

State of Uttar Pradesh

Respondent

M.A. No. 61/2023

in  
E.A. No. 14/2019

in  
O.A. No. 736/2018

विषय :- मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊ शाला के पीछे दिल्ली रोड, मेरठ के पब्लिक पार्क सहित पब्लिक प्लॉट (लगभग 12000 वर्ग गज भूमि) पर मोस्ट वाण्टेड अपराधी व 5 लाख के इनामी बदमाश बदनासिंह बदयो के गुर्गे द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में। यह कालोनी M.D.A. द्वारा स्वीकृत है।

श्रीमान जी, मंगंतपुरम कालोनी के पब्लिक पार्क सहित पब्लिक प्लॉट पर भु- माफिया चरणजीतसिंह भाटिया, शकेश मक्कड, अजय सहाय उर्फ सोनु सहाय, नवनीत सहाय उर्फ राजु, विजेन्द्र उर्फ पप्पु, वावी (P/s वाबुलाल दयानन्द प्रसाद, टिम्बर मॅनेजेंट, कवाडी बाजार, मेरठ शहर) द्वारा कब्जा किया हुआ है। इसकी शिकायत प्रार्थी ने दिनांक- 9-12-2020 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ व पोगी आदित्य नाथ से की थी। कुरूपता बदनासिंह बदयो व इसके गुर्गे ने पब्लिक पार्क व प्लॉट के मालिकों को जरा धमकाकर व दियारों से गोलीया चलाकर भगा दिया था।

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।  
दोबारा प्रार्थी ने दिनांक-24-12-2020 को जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ को प्रार्थना पत्र दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंगंतपुरम कालोनी के पब्लिक पार्क  
सहित पब्लिक प्लॉट से कब्जा नहीं हटाया।

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से कार्यालय में जाकर कार्यवाही  
करने के लिए निवेदन किया गया।

तब प्रार्थी ने दिनांक- 4-1-2021 को सुचना का अधिकार  
के माध्यम से कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से  
अवेध कब्जे पर की गयी कार्यवाही की जानकारी माँगी।

दिनांक- 25-1-2021 को जिलाधिकारी, मेरठ की तरफ से  
पत्र आया कि सुचना का अधिकार अधिनियम- 6 (3)  
के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा रहा है। यह पत्र  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को भेजा गया था। प्रार्थी  
को पत्र की कपी दी गयी थी। दिनांक 28 फरवरी 2021  
को क्षेत्राधिकारी, बृहमपुरी का मिला। पत्र के साथ  
प्रभारी निरीक्षक, थाना बृहमपुरी का पत्र लगा हुआ था।  
प्रभारी निरीक्षक, थाना बृहमपुरी द्वारा पत्र में लिखा गया कि  
मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गुरुशाला, दिल्ली रोड, मेरठ के  
पब्लिक पार्क सहित पब्लिक प्लॉट से कब्जा हटवाना मेरे  
कार्य क्षेत्र में नहीं है।

दिनांक- 20-3-2021 को सुरेन्द्र सिंह, समीशनर, मेरठ मण्डल  
को विस्तार से लिखकर दी गयी लेकिन फिर भी मंगंतपुरम कालोनी  
के पब्लिक पार्क सहित पब्लिक प्लॉट से कब्जा नहीं हटाया गया है।

'साई पुरम पब्लिक पार्क' व 'जगन्नाथपुरी पब्लिक पार्क' व 'मंगतपुरम कालोनी के पब्लिक पार्क सहित पब्लिक प्लॉट' पर एक ही वदनसिंह वदो के गेंग के गुर्गों ने कब्जा किया हुआ है।

तीनों पार्कों पर कब्जे की जानकारी दीपक मीणा, जिला मजिस्ट्रेट व अभिवेक पाण्डे - उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण को है। यह सारी जानकारी देने पर भी जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ व उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण ने पार्कों से कब्जा नहीं हटाया है।

दिनांक 25-3-2022 को दैनिक जागरण अखबार में खबर छपी थी कि जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क की जमीन पर बने अवैध भवन ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी नहीं तोड़े जा सके हैं। यह अवैधनिर्माण शहूल छावड़ा गीतल दावे वाले का है।  
प्रार्थना

1. 'साई पुरम पब्लिक पार्क' व 'जगन्नाथपुरी पब्लिक पार्क' व 'मंगतपुरम कालोनी के पब्लिक पार्क व पब्लिक प्लॉट' से तत्काल कब्जा हटवाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।
2. तीनों पार्कों पर कब्जा किए हुए भु-माफियाओं पर गेंगस्टर शकट लगाकर कानूनी कार्रवाई करें।
3. प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा का इन्तजाम करें। क्योंकि पुलिस प्रशासन पुरी तरह से पार्कों पर कब्जा किए हुए अपराधियों से मिले हुए हैं।

पत्रांक प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवपश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. दीपक मीणा - जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ

2. अभिवेक पाण्डे - उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण

दिनांक - 27-4-2024

M.No. - 8630828853

Mail Id - gopind.9566@g.war.com

प्रार्थी

पद्म शेखर गुप्ता


103 जली नं-3

साई पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ

श्री ० योगी आदित्य नाथ जी  
 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री मान जी मंगलपुरम कालोनी दिल्ली रोड अमर उजाला के सामने  
 है। मंगलपुरम कालोनी मेरठ विभाग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है  
 मंगलपुरम कालोनी के लगभग 12,000 वर्ग गज भूमि पर  
 भु-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है कब्जा की गयी भूमि  
 में कालोनी के पार्क भी है यह कब्जा, जोपाल जोशाला, दिल्ली रोड  
 के ठीक पीछे किया हुआ है कब्जा की गयी भूमि के चारों तरफ  
 करीब 20 फीट ऊंची दीवार कर रखी है कब्जा की गयी भूमि  
 मंगलपुरम कालोनी में खुसैती ही सिधंत एण्टरप्राइजेज (पब्लिक)  
 की (इमान) के सामने से सरता है यह कब्जा समाजवादी पार्टी  
 के शासन में हुआ था। कब्जा करने वाले भु-माफिया समाजवादी पार्टी  
 पार्टी में नेता बने हुए थे। कब्जा की गयी जमीन पर प्लाट काटकर  
 बेचने की योजना थी लेकिन माननीय योगी जी की सरकार बनते  
 ही सरकार भु-माफिया चुप है। मंगलपुरम कालोनी की जमीन  
 पर कब्जा करने वाले भु-माफिया 2 1/2 लाख का इनामी वदमाश  
 बदनासिंह वदो व इसके गुर्गे चरनजीतसिंह भारिया उर्फ हैप्पी  
 शकेश भक्कड उर्फ गलिक, लल्लु भक्कड, सोनु सहगल, ~~बबू विजेन्द्र प्रसाद~~  
 अजय सहगल, राजु सहगल इत्यादि हैं ये सभी व्यक्ति  
 बदनासिंह वदो की फारसी में भी नामजद हैं पेशेवर व दुर्घात अपराधी हैं।  
 आपसे प्रार्थना है कि इन सभी अपराधीओं पर भु-माफिया शर्त व  
 गैंगस्टर लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इनकी वदमाश  
 बदनासिंह वदो के साथ इन सभी अपराधीओं ना घते जाते हुए विडीओ  
 व फोटो ग्राफ भेज रहा हूं।

9-12-2020



To जिलाधिकारी, मेरठ

श्री श्री  
 चन्द्र शंकर गुप्ता

103, गली नं०-3  
 साईपुरम दिल्ली रोड  
 मेरठ (उ० प्र०)

Mail ID - gupstc9566@gmail.com  
 M - 7906792648

श्रीमान जिलाधिकारी भरोच (श्री के नागजी)  
मेरठ

श्रीमान जी मंगतपुरम कालोनी दिल्ली रोड, मेरठ, दैनिक अखबार अमराजक के सामने है मंगतपुरम कालोनी, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है। मंगतपुरम कालोनी के लगभग 12,000 वर्ग गज भूमि पर भू-आफिसोने कब्जा कर रहा है यह भूमि 20, 21,000 वर्ग गज भी हो सकती है। कब्जा की गयी भूमि में कालोनी के फार्म भी है, यह कब्जा जौवाल, गौजाला दिल्ली रोड, मेरठ के बीच लीके है। भू-आफिसोने कब्जा की गयी भूमि के चारों तरफ करीब 20 फीट ऊंची दीवार कर रखी है। यह कब्जा समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था। कब्जा करने वाले भू-आफिसो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए थे। यह सारी सूचना मैंने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री पोर्टल पर दि० 9-12-2020 को भेजी थी और 0.11, मेरठ के C.O.G No पर भी भेजी थी लेकिन आज तक कब्जा की गयी भूमि में कब्जा नहीं हटवाया गया है और न ही भू-आफिसोने पर कर्षकारी हुई है मंगतपुरम कालोनी की भूमि पर कब्जा करने वाले भू-आफिसो 2 1/2 लाख के जमीन बदलाव बदलसिंह वदो व उसके पुत्रों परनजीत सिंह आदिवा गफेश मन्कड (मलिक), लल्लु मन्कड, सोनु मन्गल (अजय मन्गल) गजु मन्गल, निजेंद्र (पप्प) इत्यादि हैं वे सभी व्यक्ति बदलसिंह वदो की फरारी में भी नामजद हैं। समाजसेवी अगिषेठ सोन द्वारा हाइकोर्ट में बदलसिंह वदो व इसके पुत्रों के खिलाफ चार्जिश दाखल की गयी थी तब मेरठ पुलिस द्वारा इन सभी पर गैंगस्टर लगायी गयी थी लेकिन आपने इन सभी अपराधीओं में गैंगस्टर हटा ली है। आपसे प्रार्थना है कि तत्काल मंगतपुरम कालोनी से कब्जा की गयी भूमि से कब्जा हटवाये व इन भू-आफिसोने पर रहने से रहने कार्रवाई करे। जमीन बदलाव बदलसिंह वदो के साथ इन सभी अपराधीओं के संबंधों को कुछ विडीयो व कोटे ग्राफ भेज रहा हूँ।

- मुख्यमंत्री को दि० 9-12-20 को लिखे पत्र की कपी श्री दे रहा हूँ।
- C.S. Jaiswal
1. कर्माशंकर, मेरठ
  2. ए.डी.एम (सिटी) मेरठ
  3. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ
  4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ
  5. गमस्त दैनिक अखबार, मेरठ

प्रार्थी  
चन्द्र शेखर गुप्ता  
103 गली नं० 3  
साई पुरम दिल्ली रोड  
मेरठ (3050)  
M 7906792648  
दि० 24-12-2020

श्री मान सुरेन्द्र सिंह जी  
कमीशनर, मेरठ मण्डल

आदरणीय कमीशनर साहब, मैंने एक प्रार्थना पत्र दि०-९-१२-२०१२ व २५-१२-२०  
को भु-भाकिपाओ द्वारा मंगलपुरम कालोनी, दिल्ली रोड पर अवैध कब्जे  
को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिए थे जिलाधिकारी, मेरठ से आफिस भी गयी थी  
इतना वडा अवैध कब्जे का मामला होने पर भी जिलाधिकारी, मेरठ ने कब्जा  
नही हटवाया तब मैंने दि०-५-१-२०२१ को मुचना का अधिकार के माध्यम से  
की गयी कापवाही की जानकारी मांगी। दि० २५-१-२०२१ को जिलाधिकारी, मेरठ  
के की तरफ से पत्र आया कि मुचना का अधिकार अधिनियम-६(३) के अन्तर्गत  
स्थानान्तरित किया जा रहा है यह पत्र करिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को भेजा गया  
मुझे पत्र की कापी दी गयी। दि २८ फरवरी २०२१ का पत्र मुझे क्षेत्राधिकारी  
बृहमपुरी का जिला पत्र के साथ प्रभारी निरीक्षक, बृहमपुरी थाना का संलग्नक  
सारे पत्रों की कापी व मुचना का अधिकार दि० ५-१-२१ व दि० २५-१-२१  
जिलाधिकारी, मेरठ की कापी व दि २८-२-२१ क्षेत्राधिकारी, बृहमपुरी व प्रभारी  
निरीक्षक, थाना बृहमपुरी की कापी भेज रहा हूँ

मंगलपुरम कालोनी, दिल्ली रोड, अमर उजाला अखबार के सामने, गोपाल  
गौशाल के पीछे करीब २१००० वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जे पर  
जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा कोई कापवाही नही की गयी कब्जाई गई भूमि की  
कीमत करीब १०० करोड रुपये है यह कब्जा मोस्ट वाण्टेड अपराधी  
वदनसिंह वट्टो के गुर्गे चरनजीतसिंह भाटिया उर्फ हेंवी, राकेश मक्कड  
लल्लु मक्कड, सोनु महगल, राजु महगल, विजेंद्र (पप्पु) द्वारा किया गया है  
पं लोग मोस्ट वाण्टेड अपराधी वदनसिंह वट्टो की फरारी में भी नासजद है  
मेरठ पुलिस द्वारा इन अपराधीयो पर गैंगस्टर लगायी गयी थी। जिलाधिकारी  
मेरठ द्वारा गैंगस्टर हटा दी गयी है। साईं पुरम इण्स्टीटयल हरिया, दिल्ली रोड  
स्थित साईं पुरम पब्लिक पार्क पर भी इन अपराधीयो ने कब्जा किया हुआ है  
दि० २५-७-२०१९ को श्री राजेश पाण्डे, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को भेजे  
पत्र शपथ पत्र के साथ भी कापी भी दे रहा हूँ।

आपसे प्रार्थना है कि सारे मामले की आप स्वयं प्रांच करके कब्जा की गयी भूमि से कब्जा  
हटाये।

C-770, जय मुनबाई, Up. hi C. ind.  
दि०-२०-३-२०२१

CS  
Gupta

चन्द्र शेखर गुप्ता  
केवट्टी भापल-१०३, गली नं०-३  
साईं पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ  
घर का पता- H.No-114, वीर, गुआ, मेरठ  
Mail id- guppta9566@gmail.com  
M.No- 7906792648



कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।  
(जन सूचना अनुभाग)

संख्या-32 / आर0टी0आई0 / 2020

दिनांक 25.01.2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
मेरठ।

महोदय,

कृपया श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी-103 गली न0-3 साईपुरम दिल्ली रोड मेरठ 7906792648 संलग्न आवेदन दिनांक 04.01.2021 (पंजीकरण संख्या 39/25.01.2021) को प्राप्त हुआ, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना विषय वस्तु आपके विभाग/कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन शुल्क/पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 51F 832704 अंकन 10/- रुपये (अंकन दस रुपये मात्र) फीस के रूप में भुगतान किया है जिसे जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

जन सूचना अधिकारी  
कलक्ट्रेट मेरठ।

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी-103 गली न0-3 साईपुरम दिल्ली रोड मेरठ 7906792648 को इस आशय से कि आप के उपरोक्त आवेदन में वांछित सूचना उपरोक्त कार्यालय से संबंधित है। अतः उसे क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है। अनुरोध है कि आप उक्त उल्लिखित राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

जन सूचना अधिकारी  
कलक्ट्रेट मेरठ।

कार्यालयसेवा मेंपुलिसउपाधीक्षकजनपदमेरठ

चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता  
निवासी 103 गली न0 3 साईपुरम दिल्ली रोड मेरठ।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो इस कार्यालय को दिनांक 30.01.2021 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किये गये आवेदन में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक हैं।


उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, ब्रहमपुरी को निर्देशित कर आख्या प्राप्त की गई थाना, ब्रहमपुरी से प्राप्त आख्या जो स्वतःस्पष्ट है मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित हैं।

संलग्नक: यथोपरि

पत्रांक-स-314/2021

दिनांक फरवरी 29 2021

  
क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी  
सहायक जनसूचना अधिकारी  
जनपद मेरठ

प्रतिलिपि-

1-पुलिस अधीक्षक अपराध को उनके पत्र संख्या स-314/2021 दिनांक 30.01.2021 के क्रम आख्या की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित

2-प्रधान लिपिक पुलिस कार्यालय मेरठ को इस निर्देश के साथ कि आवेदक उपरोक्त को उसके आवेदन से सम्बन्धित सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु

R.T./- 314/21

20 00

श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद

सेवा में  
श्रीमान श्री. लक्ष्मण प्रसाद  
लक्ष्मण प्रसाद


विषय:- पत्र सं. 314/21, 29.1.21, डॉ. कन्हैया लाल शर्मा  
प्रश्न

जिसे यदि सुचना निम्न है

- 1) ज्ञाना स्तर से सम्बंधित नहीं है
- 2) ज्ञाना स्तर से सुचना व्युत्पन्न है
- 3) ज्ञाना स्तर से ज्ञाना क्षेत्र के समस्त आपदाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है

सुचना स्तर सेवा में उचित है

प्रभारी निरीक्षक  
श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद  
मंत्र 28/1/21



### 4544 को लगी कोरोना वैक्सीन

जयपुर संसदका सचिव कोरोना वैक्सीन वितरित करने से जुड़े कामों में शामिल होकर 4544 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जयपुर को 4544 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जयपुर को 4544 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

### घोड़े पर आंगूठी मां दुर्गा, भैसे पर करेंगी प्रस्थान

विजय नगर में घोड़ों की शक्ति पर जना है प्रेम। जयपुर में घोड़ों की शक्ति पर जना है प्रेम। जयपुर में घोड़ों की शक्ति पर जना है प्रेम।

### खस्तीकरण के आदेश हवाई, खड़े हैं अवैध निर्माण

जयपुर में खस्तीकरण के आदेश हवाई, खड़े हैं अवैध निर्माण। जयपुर में खस्तीकरण के आदेश हवाई, खड़े हैं अवैध निर्माण। जयपुर में खस्तीकरण के आदेश हवाई, खड़े हैं अवैध निर्माण।



### पर्वत दल ने उतारे छह अवैध ट्रोंडिंग और 70 छोट बोर्ड

पर्वत दल ने उतारे छह अवैध ट्रोंडिंग और 70 छोट बोर्ड। पर्वत दल ने उतारे छह अवैध ट्रोंडिंग और 70 छोट बोर्ड। पर्वत दल ने उतारे छह अवैध ट्रोंडिंग और 70 छोट बोर्ड।

### मेरठ जागरण

मेरठ, 25 मार्च, 2022 दैनिक जागरण

### वेद मंत्रों से गुंजायमान होगा जिमखाना मैदान

वेद मंत्रों से गुंजायमान होगा जिमखाना मैदान। वेद मंत्रों से गुंजायमान होगा जिमखाना मैदान। वेद मंत्रों से गुंजायमान होगा जिमखाना मैदान।

**Police Jobs**  
www.jagranjosh.com

जन्म-कश्मीर पुलिस: 2700 कॉस्टेबल पद

- अंतिम तिथि: 2 अप्रैल 2022
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/तत्समान से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: jkpolice.gov.in

भारतीय सेना: 59 पुरुष एवं महिला टेक पद

- अंतिम तिथि: 6 अप्रैल 2022
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डीग्री/बीटेक या समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: indianarmy.nic.in

**Lavida**  
German Technology & Italian Design  
Modular Kitchen & Wardrobe  
Ready in 3 Days

9837319154, 9997617448